



संख्या : 2939 / जी०एस०(शिक्षा) / A11-259 / 2019

प्रेषक,

स्वाति० एस० भदौरिया,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून, दिनांक / 7 फरवरी, 2025

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक-240104031512, दिनांक 03.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राजकीय महाविद्यालय, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल को बी०ए०-(हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र), बी०ए०-(संस्कृत, भूगोल, गृह विज्ञान), बी०ए०-(मनोविज्ञान), एम०ए०-(हिन्दी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र) बी०एससी०-(भौतिक विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) एवं बी०एससी०-(रसायन विज्ञान) पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33(1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता सत्र
1	2	3	4	5
01	राजकीय महाविद्यालय, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल।	बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र)	120 सीट प्रति विषय	2024-25
		बी०ए० (संस्कृत, भूगोल, गृह विज्ञान)	60 सीट प्रति विषय	
		बी०ए० (मनोविज्ञान)	80 सीट	
		एम०ए० (हिन्दी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र)	25 सीट प्रति विषय	
		बी०एससी०	60 सीट प्रति विषय	

	(भौतिक विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान)	
	बी०एससी० (रसायन विज्ञान)	120 सीट

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, यू०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह की अवधि में उपलब्ध कराये।

(2) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में भवन मानकानुसार पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेगा, यदि किसी भी मानक के अपूर्ण होने के कारण छात्रों के हित प्रभावित होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(3) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू०जी०सी० विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीया,

Signed by

Swati Srivastava Bhadauria

Date: 17-02-2025 14:05:46

(स्वाति एस० भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 2939 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/A11-259/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य-सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Signed by आज्ञा से,

Shri Laxman Ram Arya

Date: 17-02-2025 14:29:43

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के अनुसचिव।